**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 138**

**24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन**

**\*138. श्री नीरज शेखर :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अन्य देशों से रक्षा संबंधी सौदों के लिए अनुपालन की जाने वाली रक्षा प्रापण प्रक्रिया (डी.पी.पी.) का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 2014 से अब तक किए गए उन रक्षा संबंधी सौदों का सौदा-वार ब्यौरा क्या है जिनमें रक्षा प्रापण प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है तथा उसके क्या-क्या कारण रहे हैं ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**''रक्षा प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन'' के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत किए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (क) और (ख) के संबंध में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): रक्षा उपस्कर की पूंजीगत अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में मित्र देशों से प्रमाणित प्रौद्योगिकी एवं क्षमताओं वाले उन उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु प्रावधान अंतर्विष्ट हैं जिनकी आवश्यकता हमारे देश को मिलने वाले भू-सामरिक लाभों के कारण पड़ सकती है । ऐसी अधिप्राप्तियां सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) से मंजूरी मिलने के पश्चात अंतर-सरकारी करारों पर आधारित होती हैं ।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के आधार पर, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सरकार से सरकार के मध्य करार/संविदाएं की गई हैं ।

\*\*\*